

भारत निर्वाचन आयोग ELECTION COMMISSION OF INDIA



फार्म-7 **FORM-7**

[निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम 1960 का नियम 13(2) और 26 देखिए] (See Rules 13(2) and 26) of Registration of Electors Rule-1960

पावती	संख्या

Acknowledgement No._____ (কার্যালয द्वारा भरा जाएगा) (To be filled by office)

मृत्यु /	⁄ स्थान	परिर्वतन	के	कारण	निर्वाचक	नामावली	में 3	भन्य	व्यक्ति	का	नाम	सम्मिलित	करने	का	आक्षेप,	/अपना	नाम	हटाने	/ किर्स	Ť
												लेए आवेद								

Application for Objecting Inclusion of Name of Other Person / Seeking Deletion of Own Name/Seeking Deletion of Any Other Person's Name in Electoral Roll due to Death/Shifting.

सेवा में,
निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर,
सभा निर्वाचन क्षेत्र / संसदीय निर्वाचन क्षेत्र । To,
The Electoral Registration Officer,
Assembly / Parliamentary Constituency
मै निर्वाचक नामावली में नीचे उल्लिखित व्यक्ति का नाम सम्मिलित किए जाने के प्रस्ताव पर आक्षेप कर <u>ता हू</u> ँ।
l hereby object to the proposed inclusion of the name of the under mentioned person in the electoral roll मैं निवेदन करता हूँ नीचे उल्लिखित व्यक्ति के नाम से संबंधित प्रविष्टि को हटाया जाना अपेक्षित है।
I hereby request that entry relating to name of the person mentioned below is required to be deleted
मैं निवेदन करता हूँ कि निर्वाचक नामावली से मुझसे संबंधित प्रविष्टि हटाई जानी है।
I request that the entry relating to myself is to be deleted from Electoral Roll
मेरे आक्षेप या हटाए जाने के समर्थन में विशिष्टियां नीचे दी जा रही है: Particulars in support of my objection/deletion are given below:-
आवेदन की विशिष्टियां Particulars of the applicant
(क) नाम Name
(ख) उपनाम(यदि कोई हो)
Surname(if any)
(ग) भाग संख्या (घ) क्रम संख्या
(c) Part No. (d) Serial No.
(ड.) ईपीआईसी सं० (यदि जारी की गई हो)
(e) EPIC No. (If issued) उस व्यक्ति के ब्यौरें जिसका नाम सम्मिलित किए जाने पर आक्षेप किया गया है या जिसकी प्रविष्टि हटाई जानी है:
उस व्यक्ति के ब्यार जिसका नाम साम्मालत किए जान पर आक्षेप किया गया है या जिसका प्रावाष्ट हटाई जाना है. Details of person inclusion of whose name is objected to/whose entry is to be deleted:
क) नाम
(a) Name
(ख) उपनाम(यदि कोई हो)
(b) Surname(if any)
(ग) भाग संख्या 📗 🦲 🦲 (घ) कुम संख्या 📗 🦳
(c) Part No.
(ভ.) ईपीआईसी सं0 (यदि जारी की गई
हो)
(e) EPIC No. (If issued)
(च) आक्षेप / हटाए जाने के कारण
(f) Reason(s) for objection/deletion:

घोषणा —मैं घोषणा करता हूं कि ऊपर वर्णित तथ्य और विशिष्टयां मेरी सर्वोतम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है और मुझे मालूम है कि ऐसा कथन करना या घोषणा करना जो असत्य है और जिसे मैं जानता हूँ या विश्वास करता हूँ कि असत्य है या जिसके सत्य होने पर मैं विश्वास नहीं करता हूँ। वह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 31 के अधीन दंडनीय है। Declaration:- I hereby declare that the facts and particulars mentioned above are true to the best of my knowledge and belief. I am aware that making a statement or declaration which is false and which I know or believe to be false or do not believe to be true, is punishable under Section 31 of the Representation of the People Act, 1950 (43 of 1950). स्थान Place दिनांक Date आवेदक के हस्ताक्षर..... signature of Applicant..... क्षेत्र स्तर सत्यापन अधिकारी की टिप्पणी Remarks of Field Level Verifying Officer: की गई कार्यवाही के ब्यौरे (निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर द्वारा भरा जाना) Details of action taken (To be filled by Electoral Registration Officer of the constituency)जो......जो को निवासी हैं, का प्ररूप ७ में निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित किये जाने के आवेदन श्री / श्रीमती / कुमारी..... को स्वीकार कर लिया गया है / नामंजूर कर दिया गया है। स्वीकार करने (नियम 18/20/26(4) या उसके अनुसरण में) या नामंजुर करने (नियम 17/20/26(4) या उसके अनुसरण में) के लिए विस्तुत कारण नीचे दिए गए हैं। The application of Shri / Shrimati/ Kumariobjecting to inclusion/ seeking deletion of name of Shri / Shrimati/ Kumari 7 has been accepted/rejected. Detailed reasons for acceptance [under or in pursuance of rule 18/20/26(4)] or rejection [under or in pursuance of rule 17/20/26(4)] are given below: स्थान Place दिनांक Date निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर के हस्ताक्षर एवं मुद्राा Signature of ERO & Seal लिए गए विनिश्चय की सूचना (निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर द्वारा भरा जाना है और अभ्यर्थी के रिकार्ड पर उपलब्ध पते पर डाक द्वारा भेजा जाना है। Intimation of decision taken (to be filled by Electoral Registration Officer of the constituency and to be posted to the applicant on the address available in the record) का प्ररूप 7 में आवेदन प्राधिकारी द्वारा प्रेषण के The application in Form 7 of Shri/Shrimati/Kumari..... समय डाक टिकट चस्पा वर्तमान पता, जिस पर आवेदक मामुली रूप से निवास करता है किए जाने हैं गृह सं. Postage Stamp to Current address where applicant is ordinarily resident House No. be affixed by the Electoral Registration Street/Area/Locality Authority at the शहर / ग्राम Town/Village डाक घर Post Office पिनकोड Pin Code राज्य / संघ राज्य जिला District क्षेत्र State/UTसे हटा दिया है।से हटा दिया है। Has been (a) accepted and the name of Shri/Shrimati/Kumari.....has been deleted from...... Part No..... of AC No...... (ख) कारण से अस्वीकृत कर दिया गया है। (b) rejected for the reason..... निर्वाचक रजिस्टीकरण आफिसर तारीखः Date: Electoral Registration Officer पता..... पावती / रसीद Acknowledgement/Receipt Acknowledgement Number _____ Date ____ का ं ---- का प्ररूप ७ में आवेदन प्राप्त हुआ है श्री / श्रीमती / कुमारी ----[आवेदक आवेदन की स्थिति जांचने के लिए पावती सं. निर्दिष्ट कर सकता है] Received the application in form 7 of Shri / Smt. / Ms. [Applicant can refer the Acknowledgement No. to check the status of application]. ईआरओ / एईआरओ / बीएलओ का नाम / हस्ताक्षर Name/Signature of ERO/AERO/BLO उत्तरकाशी— चमोली-रूद्रप्रयाग— टिहरी गढ़वाल-देहरादून– हरिद्वार.— पौड़ी–गढ़वाल 01374-222177 01372-252139 01364-233352 01376-232164 0135.2624216 01334.239942 01368-222217 लै0 01374-1950 01372-1950 01364-1950 01376-1950 0135-1950 01334,1950 01368-1950 लाईन / पिथौरागढ बागेश्वर नैनीताल उधमसिंहनगर अल्मोडा चम्पावत टोल फी– 05964-225236 05963-220380 05962-230010 05965-230296 05942-235284 05944-246787 05964-1950 05963-1950 05962-1950 05965-1950 05942-1950 05944-1950

प्ररूप—7 के साथ संलग्न होगा To be appended to Form-7

आवेदन प्ररूप—7 भरने के लिए दिशा—निर्देश GUIDELINES FOR FILLING UP THE APPLICATION प्ररूप—7 FORM-7

कौन प्ररूप-7 दाखिल कर सकता है How to Fill up form-7

- 1. आवेदन उस निर्वाचन—क्षेत्र के निर्वाचक रिजस्ट्रीकरण अधिकारी को संबोधित किया जाना चाहिए जिसमें उस नामावली में पंजीकृत दूसरा निर्वाचक प्रारूप निर्वाचक नामावली में प्रविष्टि के प्रस्तावित अंतर्वेशन के प्रति आपित्त व्यक्त करता है। निर्वाचन—क्षेत्र के नाम का खाली स्थान में उल्लेख होना चाहिए।
- 1. The application should be addressed to the Electoral Registration Officer of the constituency in which another elector registered in that roll objects the proposed inclusion of an entry in the draft electoral roll. The name of the constituency should be mentioned in the blank space.

2. उस व्यक्ति का विवरण जिसके नाम का अंतर्वेशन करने में आपित्ति व्यक्त की गई है/उस व्यक्ति का विवरण जिसकी प्रविष्टि विलोपित की जानी है:

तीन विकल्पों में से पहला विकल्प निर्वाचक नामावली के पुनरीक्षण के दौरान निर्वाचक नामावली के प्रारूप प्रकाशन के पश्चात संगत होता है। दूसरे शब्दों में, नामावली के अंतिम प्रकाशन के समय विलोपनों की सूची में प्रारूप नामावली में आक्षेपित प्रविष्टि को दर्शाना। दूसरा विकल्प निर्वाचक नामावली के अंतिम प्रकाशन के पश्चात सतत अद्यतनीकरण के दौरान संगत होता है। दूसरे शब्दों में, अंतिम निर्वाचक नामावली में पहले से ही अंतर्वेशित प्रविष्टि के विलोपन के लिए। (कृपया प्ररूप भरते समय उपयुक्त विकल्प पर सही का निशान लगाएं)

सिवाय उस व्यक्ति के नाम के, जिसकी प्रविष्टि के अंतर्वेशन पर आपित्त की गई है या जिसके विलोपन की अपेक्षा की गई है, निर्वाचक नामावली के अन्य विवरण, निर्वाचक नामावली के उस भाग के प्रविष्टि की भाग सं0, कम सं0 और उस व्यक्ति को जारी किये गये पहचान कार्ड की संख्या (मद (क), (ख),(ग) एवं (घ) भी भरी जानी अपेक्षित है। ये विवरण निर्वाचक नामावली के संबंधित भाग में उपलब्ध है। निर्वाचक नामावली की भाग सं0 निर्वाचक नामावली के दायें शीर्ष कोने में मुद्रित होती है। प्रत्येक प्रविष्टि को एक कम संख्या दी गयी है। कृपया निर्वाचक नामावली की जांच करें और वह कम संख्या लिखें जिसमें उस व्यक्ति का नाम जिसकी प्रविष्टि पर आपित्त की गई है या विलोपन की अपेक्षा की गई है, सूचीबद्ध है। यदि उस व्यक्ति को पहले ही पहचान कार्ड जारी किया जा चुका है तो उसकी संख्या भी उस प्रविष्टि के सामने मुद्रित होगी। कृपया दिए गए स्थान में उस पहचान कार्ड की पूरी संख्या लिखें।

प्रत्येक प्रविष्टि के अंतर्वेशन पर आपित्त व्यक्त करने / विलोपन चाहने के लिए तीन में से प्रत्येक विकल्पों के लिए अलग-अलग आवेदन दाखिल किए जाने अपेक्षित है। दूसरे शब्दों में, केवल एक विकल्प को चूनने की अनुमित है।

2. Details of person inclusion of whose name is objected to / Details of person whose entry is to be deleted:

Out of the three options, the first option is relevant after draft publication of electoral roll during revision of electoral roll. In other words, to show the objected entry in the draft roll in the list of deletions at the time of final publication of the roll. The second option is relevant during continuous updation after final publication of electoral roll. In other words, for deletion of an entry already included in the final electoral roll. (Please tick the appropriate alternative while filling up the Form)

Besides the name of the person whose entry is objected for inclusion or sought to be deleted, the other details of the electoral roll Part No., Serial No. of the entry in that Part of electoral roll and Identity Card No issued to that person (Items (a), (b), (c) and (d)) are also required to be filled up. These details are available in the relevant part of electoral roll. The Part No. of the electoral roll is printed on the right hand top corner of the electoral roll. Every entry is given a serial number. Please check the electoral roll and write the serial number at which the name of the person whose entry is objected for inclusion/sought to be deleted is listed. In case the person has already been issued an Identity Card that No. is also printed against that entry. Please write that card no. in full in the space provided.

Separate Application is required to be filed for each of the three alternatives for objecting inclusion/seeking deletion of each entry. In other words, the only one alternative is allowed to be opted.

3. आपत्तिकर्ता का विवरण

कोई ''आपित्तकर्ता'' प्ररूप—7 में केवल उन्ही व्यक्तियों के संबंध में आवेदन दाखिल कर सकता है जिनका नाम निर्वाचक नामावली के उसी भाग में शामिल है, जहां आपित्तकर्ता पंजीकृत है। आपित्तकर्ता को दिए गए स्थान (मद (क), (ख),(ग) एवं (घ) एवं (ड.) में अपना नाम, उपनाम सिहत, निर्वाचक नामावली की भाग संख्या और वह क्रम संख्या, जिस पर निर्वाचक नामावली के उस भाग में उसका नाम पंजीकृत है, भरनी है।

3. Details of objector

An "Objector" can file Application in Form 7 only in respect of persons included in the part of the electoral roll in which he/she is registered. The objector has to fill up in the space (item (a), (b), (c) and (d) and (e)) provided his/her name including surname, part no. of electoral roll and serial number at which his/her name is registered in that part of the electoral roll.

4. आपत्ति / विलोपन का / के कारण

आवेदक 'आपित्तिकर्ता' को मद (च) में वह / वे कारण अवश्य विनिर्दिष्ट करना / करने चाहिए कि उसके अनुसार जिसके नाम पर आपित्त की जा रही है वह निर्वाचक नामावली के उस भाग में अंतर्वेशित किए जाने के लिए क्यों निरर्ह है अर्थात् मृत्यु हो जाने के कारण, स्थानान्तरण के कारण पंजीकृत पते पर सामान्य रूप से निवास न करने के कारण इत्यादि। नाम के विलोकन के लिए दिए गए कारणों इत्यादि। नाम के विलोपन के लिए दिए गए कारणों को सिद्ध करने के लिए सबूतों को प्रस्तुत करने का दायित्व आपित्तिकर्ता का होगा।

4. Reason(s) for objection / deletion

The applicant 'objector' must specify the reason(s) in item (f) as to why according to him/her the person whose name is objected is not qualified for inclusion in that part of electoral roll viz. Due to death, due to shifting, not ordinarily residing at the registered address etc. The onus of proof to substantiate the reason given for removal of the name lies with the Objector.

5. घोषणा

आवेदक आवेदन के आखिरी भाग में आवेदक को यह घोषणा अवश्य देनी चाहिए कि आवेदन में उल्लिखित तथ्य एवं विवरण उसकी सर्वश्रेष्ठ जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है। आवेदक जिस तारीख से दिए गए पते पर निवास कर रहा है। उसका सुस्पष्ट रूप में उल्लेख किया जाना चाहिए। मिथ्या घोषणा करना लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 के अधीन दण्डनीय है।

5. Declaration

In last part of the Application, the applicant must give a declaration that the facts and particulars mentioned in the application are true to the best of his/her knowledge and belief. The date from which the applicant is residing at the given address should be clearly mentioned. Giving a false declaration is punishable under Section 31 of the Representation of the People Act, 1950.
